मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

टॉवर-2, पुलिस मुख्यालय, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ।

परिपत्र संख्याः डीजी- 15 /2020

दिनांकः मई 04, 2020

सेवा में,

समस्त पुलिस महानिदेशक / अपर पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 ।
समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उ0प्र0 ।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद, उ0प्र0 ।

प्रदेश के पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सीयूजी मोबाइल की सुविधा उच्चाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं जन सामान्य से संवाद स्थापित करने, महत्वपूर्ण सूचनाओं के त्वरित आदान प्रदान करने, बेहतर कानून - व्यवस्था बनाये रखने तथा अपराधों पर समुचित नियंत्रण रखने के उद्देश्य से प्रदान की गयी है। चूँकि पुलिस का कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकृति का है एवं दिन-रात निरंतर गतिशील रहता है अतः ऐसे में सभी वरिष्ठ एवं अन्य अधिकृत पुलिस अधिकारियों जिनमें जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / उप महानिरीक्षक, जनपदों के वरिष्ठ / पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक से लेकर थाना प्रभारी स्तर तक के अधिकारियों के साथ-साथ पुलिस विभाग की अन्य इकाईयों के अधिकारी / कर्मचारी भी शामिल हैं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सीयूजी मोबाइल फोन को सदैव स्विच-ऑन मोड पर रखें तथा प्राप्त होने वाली सभी कॉल्स पर प्रति उत्तर दें।

2- शासन एवं इस मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय वरिष्ठ पुलिस अधिकारी प्रायः अपने सीयूजी मोबाइल स्विच-ऑफ मोड पर रखते हैं या उसे अपने अधीनस्थों को सौंप देते हैं अथवा कॉल ही रिसीव नहीं करते। विशेष रूप से यह प्रवृत्ति फील्ड अधिकारियों के संबंध में देखी गयी है। इस प्रकार की प्रवृत्ति के कारण जहाँ एक ओर सरकार के मा0 मंत्रीगण, शासन एवं मुख्यालय के उच्चाधिकारियों एवं जन-सामान्य को अनेकों बार असुविधा का सामना करना पड़ता है वहीं दूसरी ओर शासन द्वारा सीयूजी मोबाइल की सुविधा प्रदत्त किये जाने का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाता है। यह स्थिति कदापि उचित नहीं है।

3- प्रदेश में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को उपलब्ध करायी गयी सीयूजी सुविधा को उद्देश्यपरक एवं प्रभावी बनाये रखने हेतु निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं जिनका आप द्वारा कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इन निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता परिलक्षित होने पर इसे अत्यंत गंभीरता से लिया जायेगा :-

(1) सीयूजी मोबाइल किसी भी दशा में स्विच-ऑफ न किया जाये। यह सदैव स्विच-ऑन मोड पर रहे।

(2) सीयूजी मोबाइल पर आने वाली प्रत्येक कॉल अवश्यमेव रिसीव की जाये।

(3) किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश सीयूजी पर आने वाली कॉल्स तत्काल रिसीव न किये जाने की स्थिति में अवसर प्राप्त होते ही कॉल बैक कर वार्ता अवश्य की जाये।

(4) अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित / अराजपत्रित अधिकारियों, थाना एवं चौकी प्रभारियों से भी इन निर्देशों का शुद्ध अंतःकरण से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

4- इन निर्देशों के अनुपालन में स्थिलता परिलक्षित होने पर विपरीत मंतव्य धारित किया जायेगा।

(एच0सी0 अवस्थी)
पुलिस महानिदेशक
उत्तर प्रदेश।